उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507908

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	कृषि
2.	परगना	[illegible]
3.	ग्राम	[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507909

-2-

4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति सं0)	:	खसरा नं0 759
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.314 हेक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	सुल्तानपुर रोड से 300 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कोई पेड़ नहीं है।
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	कुछ भी नहीं है।
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 23,65,519/-
11.	मालियत	:	रू0 7,22,200/-
12.	स्टाम्प	:	रू0 2,36,600/-

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी खसरा संख्या–759

पूरब	: खसरा संख्या–760
पश्चिम	: खसरा संख्या–758
उत्तर	: खसरा संख्या–757
दक्षिण	: खसरा संख्या–762

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507911

-4-

प्रथम पक्ष की संख्या–06 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) रमेश (2) सुरेश (3) माता प्रसाद (4) बच्चर (5) राम नरेश पुत्रगण स्व0 बंशी लाल (6) शिवदेवी पत्नी स्व0 बंशीलाल, निवासीगण– छोलहलापुरवा, म0 ग्राम– अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	कल्लू पुत्र फुल्ल, निवासी– मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट– नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0। व्यवसाय – कृषि

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) रमेश (2) सुरेश (3) माता प्रसाद (4) मन्दर (5) राम नरेश पुत्रगण स्व0 बंशी लाल (6) शिवदेवी पत्नी स्व0 बंशीलाल, निवासीगण–झीनकलापुरवा, म0 ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् कल्लू पुत्र पूरन, निवासी– मिर्जापुर, मिराटी,

रमेश रामनरेश

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 507913

पोस्ट– नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है, के नाम निष्पादित किया गया।

जो कि विक्रेता मालिक, काबिज व काबिज आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या–759 रकबा 0.314 हेक्टेयर, स्थित ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ, का है, जो कि

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

507912

खतौनी संख्या–00181 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम का अमल दरामद हो गया है. विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है. और यह कि विक्रेता यह घोषित

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0308 572314

करता है। कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239112

का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 23,65,519/- (रूपया तेईस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 239111

जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239170

विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239119

रोकेगा। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता व उसके वारिसान की चल,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 239120

अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239121

कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्बनाइज़ेबल क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239116

सर्किल रेट रू0 23,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत रकबा 0.314 हेक्टेयर की मालियत रू0 7,22,200/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 2,36,600/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239117

है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुलतानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 239118

संलग्न है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 328787

<u>विक्रीत भूमि का विवरण</u>

कृषि भूमि खसरा संख्या–759 रकबा 0.314 हेक्टेअर,

स्थित ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 707117

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता को रू0 23,65,519/- (रुपया तेईस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) द्वारा चेक संख्या:- 58 3166 - 58 3165, 58 3166, 58 3167, 58 3170, 58 3171 - दिनांकित 17.01.2008 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा -हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 820686

JAN 2006

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 23,65,519/- (रुपया तेईस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) विक्रेता ने क्रेता

विक्रय पत्र

[illegible]	[illegible]	5,000.00	40	5,000.00	2,000
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

प्रतिफल [illegible]

श्री / श्रीमती रोशन

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी स्थायी [illegible]

अस्थायी पता

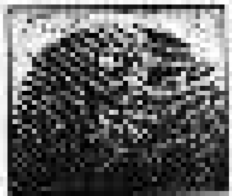

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/1/2008 समय 6:05PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

[illegible]

उप निबंधक (द्वितीय)

[illegible]

17/1/2008

निष्पादन लेखपत्र [illegible]

विक्रेता

श्री/श्रीमती रोशन

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

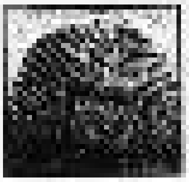

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

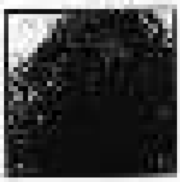

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

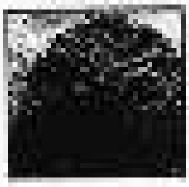

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

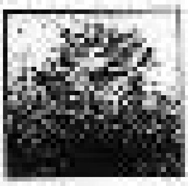

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

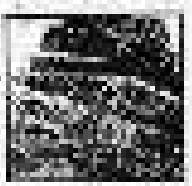

से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

नोटः– पृष्ठ संख्या–19 पर चेक संख्या काले पेन से लिखी है।
लखनऊ
दिनांकः 17.01.2008

गवाह

1. क्रेता की पहचान की
सुशील कुमार सिन्हा
पुत्र श्री गोपाल चन्द्र सिन्हा
[illegible] — विक्रेता

राम नरेश

2. [illegible]

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(कुलदीप वर्मा)
एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

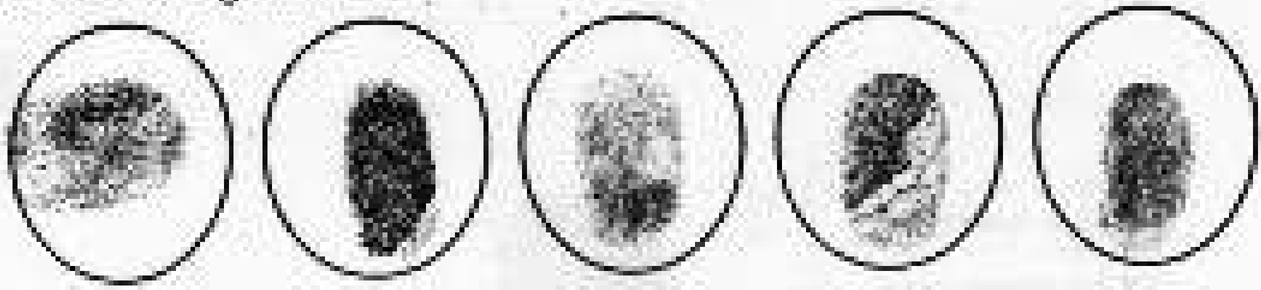

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

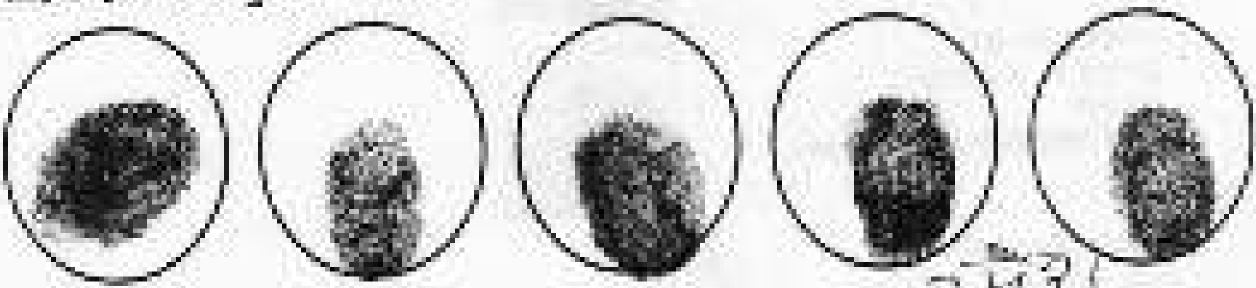

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

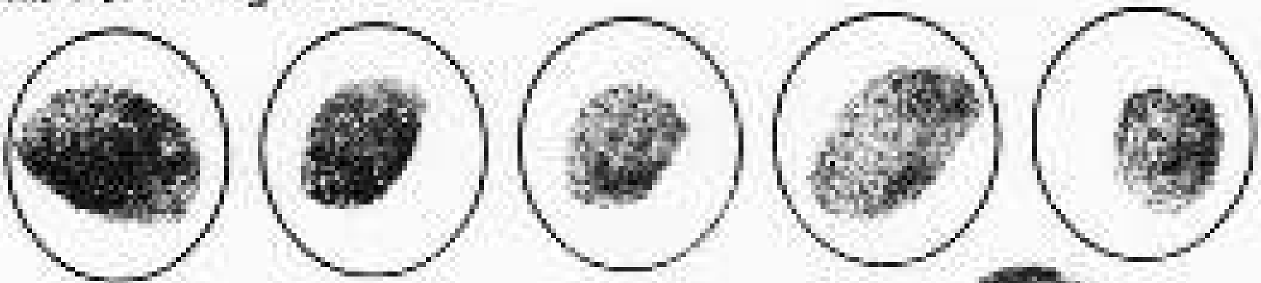

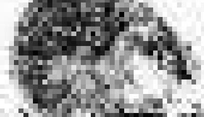

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

विक्रेता/दाता [illegible] (हस्ताक्षर)
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

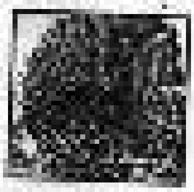

विक्रेता/दाता [illegible]
पुत्र/पत्नी श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]

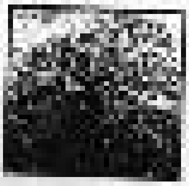

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री सुनील सिन्हा
पुत्र श्री बी.के.सिन्हा
पेशा व्यापार
निवासी लखनऊ [illegible]
व श्री राजेश कुमार
पुत्र श्री [illegible] राम
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] लखनऊ
ने की ।

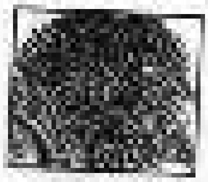

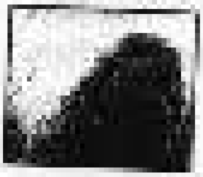

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

एस.के.पाल
उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
1/7/2006

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

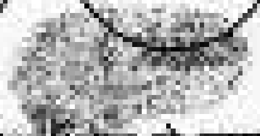

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No 302 Year 2008 Book No. 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0102 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0103 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0104 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

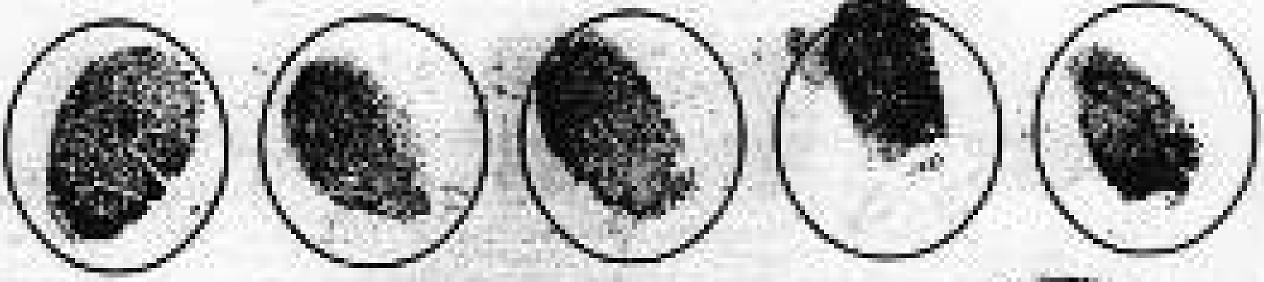

वि[illegible] के ह[illegible]

[illegible]

विक्रेता

Registration No. [illegible] Year : 2008 Book No. : 1

0105 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

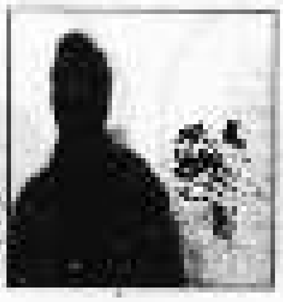

0106 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 ए० के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible] मिश्री [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता / [illegible]ता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- ....

....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. 582 Year 2008 Book No. I

0201 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम : अहमदपुर

खसरा संख्या- 785

विक्रेता : रमेश आदि

क्रेता : [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

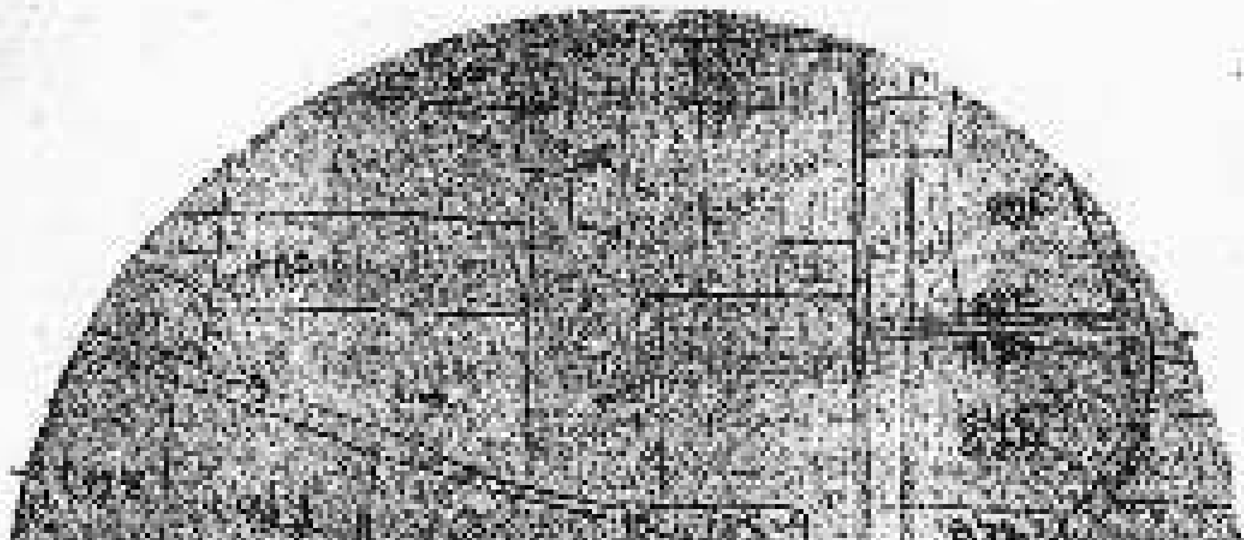

आज दिनांक 17/01/2008 को

बही सं 1 जिल्द सं 7192

पृष्ठ सं 381 से 432 पर क्रमांक 502

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.एल.पाल

उप निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

17/1/2008